

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

हस्ताक्षर प्रभारी

महोदय .

निवेदन है कि ग्राम ब्यासपुरी जमाबंदी सं. 2013-76 के खाता सं. 393 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लुपीकीय चुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / चुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
	रतम पुत्र कचड़ आसि चमार दि - सा. देह	393	आसि - चमार	आसि मेधवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

- बमडु पुत्र ब्यासपुरी मेहल ब्यासपुरी
- गोरधन सिंह पुत्र ब्यासपुरी सोधि ब्यासपुरी
-
-

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम ब्यासपुरी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

विजयशंकर
रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

विजयशंकर
हस्ताक्षर पटवारी
प0म0 ब्यासपुरी

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

विजयशंकर
भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वू0.....



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम बारेकोई के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
पिड़ावा जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 193

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम बारेकोई के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिड़ावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Upmy
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा जि. झालावाड़ राज0 (राज०)

